संख्याः 386 / कनिप्र / 26–3–2014–13(60) / 2013

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2014
समाज कल्याण विभाग

विषयः " हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 108 / कनिप्र / 26–3–2014–13(60) / 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उपरोक्त अधिनियम की प्रति प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

2– उक्त अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत कतिपय विन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर नियमों का बनाया जाना अपेक्षित था। अधिनियम की धारा–37 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन तथा उपयोग के लिये मॉडल रूल्स प्रकाशित किये जाने का प्राविधान है तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 03 माह के अन्दर नियमों को अधिसूचित नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किये जाने तक केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मॉडल रूल्स स्वतः ही प्रभावी मान लिये जायेगे। केन्द्र सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत " हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013" का प्रख्यापन किया गया है ।

3– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही अभी प्रकियाधीन है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 06–12–2013 से 03 माह की अवधि दिनांक 06 मार्च, 2014 को पूर्ण हो चुकी है। अस्तु केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मॉडल नियम दिनांक 06 मार्च, 2014 से उत्तर प्रदेश राज्य में स्वतः ही प्रभावी हो गये हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधिसूचित होने की तिथि तक प्रभावी रहेंगे।

4— अतः उपरोक्तानुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियम की प्रति एतद्द्वारा अनुपालनार्थ प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

28.3.14

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
2— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, लखनऊ।
6— निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8— निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10— समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)/ पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमि0, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राम गोपाल मौर्य)
विशेष सचिव।